भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3953

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम की समीक्षा में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी

3953. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) की समीक्षा में सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए कोई औपचारिक तंत्र मौजूद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम छोर तक आपूर्ति और जवाबदेही में सुधार के लिए स्थानीय और राज्य स्तरीय समीक्षा तंत्रों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर महाराष्ट्र में अनिवार्य घरेलू सोर्सिंग आवश्यकताओं के आलोक में घरेलू स्तर पर निर्मित सौर मॉड्यूल और सेल की उपलब्धता और सौर परिनियोजन लक्ष्यों के बीच तालमेल न होने का राज्य-वार आकलन किया है;

(घ) विशेषकर महाराष्ट्र में सौर निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं; और

(ङ.) क्या सरकार का देश में सौर मॉड्यूल और सौर सेल के निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, पीएम-कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को पहले ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की DISHA समिति के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यापक जनसंपर्क एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की

जाती हैं। इसमें देशभर में राज्य के जनप्रतिनिधियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी सौर PV विनिर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची (ALMM) सूची-I के अंतर्गत सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता मार्च 2023 में लगभग 22 GW थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 213 GW हो गई है। सौर PV सेल के लिए पहली ALMM सूची-II दिनांक 31.07.2025 को जारी की गई थी, जिसमें लगभग 13 GW की सौर सेल विनिर्माण क्षमता थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 32 GW हो गई है। इस प्रकार, सौर मॉड्यूल और सौर सेल की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप पीएम-कुसुम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए इनकी उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पीएम-कुसुम के अंतर्गत घटक B और C की परियोजनाओं में घरेलू रूप से निर्मित सौर PV सेल और मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य है। तथापि, घटक C (FLS) के लिए उन परियोजनाओं में घरेलू रूप से निर्मित सौर PV सेल के उपयोग से छूट दी गई थी, जिनके लिए दिनांक 31.03.2024 तक आवंटन पत्र जारी किए गए थे।

घटक A के अंतर्गत, जिन सभी परियोजनाओं में बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 के बाद थी, उनमें घरेलू रूप से निर्मित सौर PV सेल और मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।

(घ) एवं (ङ): सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें *अन्य के साथ-साथ*, उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की कुछ योजनाओं के अंतर्गत घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) के प्रावधान, सौर सेल और मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए आवश्यक निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट, तथा आयातित सौर PV सेल और मॉड्यूल पर मूल सीमा शुल्क (BCD) लगाया जाना शामिल है।
